कार्यालय जिलाधिकारी बुलन्दशहर।

अति अल्पकालिक निविदा–सूचना व शर्तें

सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0शासन के शासनादेश संख्याः 1651/1–10–2017–12(34)/03 टी0सी0–1, राजस्व अनुभाग–10, दिनांक 16 नवम्बर 2017 के क्रम में वर्ष 2017–18 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत गृह विहिन/निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु लगभग 10,000 कम्बलों की आपूर्ति (संख्या घट–बढ़ सकती है) हेतु अति अल्पकालीन निविदायें आमंत्रित की जाती है। क्रय किये जाने वाले कम्बलों की मानक व शर्तें निम्न प्रकार होगी।

1– क्रय किये जाने वाले कम्बलों की पूर्व निर्धारित दर रू0 500 से अधिक न हो तथा कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 से0मी0, चौडाई कम से कम 140 से0मी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो0 200 ग्राम होना चाहिए। इन कम्बलो में कम से कम 70 प्रतिशत पूर्ण होना चाहिए तथा पुराने यार्न का प्रयोग न होना चाहिए।

2– अपूर्ति किये जाने वाले कम्बलों पर 50 सेमी0 X 30 सेमी0 के स्टेनशिल से सम्बन्धित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौडाई एवं वजन का विवरण तथा कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निशुल्कः वितरित किया जा रहा है, जो विक्री योग्य नहीं है, इस आशय का स्टेनशिल काटकर पक्के प्रिन्टिड किया जाना अनिवार्य होगा।

3– उक्त इंगित गुणवत्ता का कम्बल जनपद मुख्यालय पर पहुचाने का मार्ग व्यय तथा मुख्यालय जनपद की सभी 7 तहसीलों के मुख्यालयों तक पहुचाने का मार्ग व्यय सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा ही किया जायेगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा।

4– आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आपूर्तित किये गये कम्बल का अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा एक मानक सैम्पूल मुख्यालय पर रखा जायेगा एवं एक–एक कम्बल समस्त उप जिलाधिकारी कार्यालय पर रखा जायेगा। जिसका वितरण कदापि नहीं किया जायेगा। ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। आपूर्ति किये जाने वाले कम्बलो में से एक कम्बल शासन को भी सील बन्द कर प्रेषित किया जायेगा, जिसकी गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपूर्ति संस्था का होगा।

5– आपूर्ति कर्ता संस्था निर्धारित समय यानि निविदा स्वीकृति के दिनांक से 3 दिवस के अन्दर कम्बलो की आपूर्ति करनी होगी। यदि संस्था आपूर्ति पूर्ण नही कर पाती है तो उसका आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। मानक के अनुसार कम्बलो की आपूर्ति करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा।

6– उपरोक्त क्रय किये जाने वाले कम्बलो की संख्या कम/अधिक करने का अधिकार समिति के जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष में निहित होगा।

7– निविदा फार्म एवं शर्तें संग्रह कार्यालय, कलक्ट्रेट कक्ष सं0–05 में दिनांक 04-12-17 से दिनांक 11-12-17 को प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश के दिवसो को छोडकर) प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित प्रारूप पर निविदायें संग्रह अनुभाग कलेक्ट्रेट बुलन्दशहर के कमरा नं0–05 में रखी पेटिका में दिनांक 11-12-17 तक प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक डाली जा सकेगी। प्राप्त निविदाये दिनांक 11-12-17 को अपरान्ह 3.30 बजे अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 बुलन्दशहर के कार्यालय कक्ष सं0–1 में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। सभी निविदादाताओं को निर्धारित तिथिओं के समय पर उपस्थित रहना अनिवार्य है। इसके लिये पृथक से कोई सूचना नही दी जायेगी।

8– निविदा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरी से अथवा सी0आर0ए0 कार्यालय कमरा नं0–5 कलक्ट्रेट बुलन्दशहर से ली जा सकती है।

9– आपूर्ति किये गये कम्बल की गुणवत्ता/मानक में शासनादेशानुसार किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो संस्था को भुगतान नही किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा। इसलिये संस्था का उत्तरदायित्व होगा कि कम्बल शासन द्वारा निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च गुणवत्ता का ही आपूर्ति की जाये।

10— निविदा में किसी प्रकार की कटिंग व ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा।

11— निविदा शुक्ल अंकन 500/— रूपये डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा ही स्वीकार्य की जायेगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट मूलरूप में निविदा के साथ के संलग्न करना होगा।

12— जिलाधिकारी व क्रय समिति को बिना किसी कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

13— क्रय प्रदर्शित कम्बलो की संख्या अनुमानित है विभागीय आवश्यकता तथा बजट के उपलब्धता के अनुसार संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

14— किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी बुलन्दशहर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

15— कम्बल आपूर्ति के सम्बन्ध में आपूर्ति कर्ता संस्था द्वारा सूक्ष्म, लघु एव मध्यम उधम अनुभाग—2 के शासनादेश सं0—8/2016/548/18—2—2016—12(एस0पी0)/2010 दिनांक 12.08.2016 में दिये गये निर्देश का अनुपालन करना होगा।

16— कम्बलो कोक्रय करने के लिये अन्तिम निर्णय जिलाधिकारी व अध्यक्ष कम्बलक्रय समिति का मान्य होगा।

17— क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता (शासनादेश में अंकित मानक को) की टैस्टिंग रिपोर्ट मान्य संस्था से कराकर निविदा प्रपत्र के साथ/निविदा खुलने के समय प्रस्तुत करनी होगी।

18— कम्बलो का भुगतान मानक के अनुरूप व पूर्ण मात्रा में कम्बलो की तहसील स्तर पर आपूर्ति सुनिश्चित होने के पश्चात किया जायेगा। फर्म को सभी आवश्यक टैक्स देने होगें।

19— उपरोक्त सूचना जनपद की बैव साईड www.bulandshahr.nic.in पर उपलब्ध है।

20— लिफाफे के बाहर मोटे अक्षरों में "कम्बल हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए।

21— संस्थाओं को कम्बल का सैमपिल जिस पर फर्म का पूर्ण विवरण, मानक आदि का पूर्ण विवरण हो दैवी आपदा लिपिक संग्रह कार्यालय कलक्ट्रेट बुलन्दशहर कमरा नं0 5 में प्राप्त करना होगा, जिसको निविदा खोले जाने के समय रखा जायेगा।

22— निविदा में कम्बल का मूल्य जी0एस0टी0 सहित अंकित किया जायेगा। पृथक से कोई अन्य का देय नहीं होगा।

23— निविदादाता को जमानत राशि के रूप में जिलाधिकारी बुलन्दशहर के पक्ष में अंकन रुपये 35,000/— का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

(हस्ताक्षर) 4/12/17

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
बुलन्दशहर।

पत्रांक 4909(1) /मु0रा0लि0—दैवी आपदा दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि—
1— जिलाधिकारी महोदया को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन0आई0सी0 बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त निविदा सूचना को जनपद की बेवसाईड पर डाउनलोड करने का कष्ट करें।
3— नाजिर सदर, कलक्ट्रेट बुलन्दशहर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
4— समस्त तहसीलदार जनपद बुलन्दशहर को तहसील नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
बुलन्दशहर।